न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 **143/2019 प्रार्थना पत्र**

1. श्री घीसुलाल पिता रामलाल धाकड निवासी कोचवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज0

– प्रार्थीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की ओर से:– अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड उपस्थित

आदेश

दिनांक:– 2.5.22

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना [illegible] अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी [illegible] की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बडावली के साबिक आराजी नं0 [illegible] रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भुमि स्थित है। तत्कालिन खातेदार राधाकिशन पिता [illegible] धाकड एवं घीसुलाल पिता हरलाल धाकड निवासी कोचवा के संयुक्त खातेदार [illegible] कब्जे काश्त में दर्ज रिकार्ड थी । प्रार्थी द्वारा जो मौजा कोचवा वर्तमान पटवार हल्का बडावली में दो बिघा नो बिस्वा आराजी खरीदी का उसका कब्जा प्राप्त किया गया था। वह वक्त पेमाईश के समय सहवन से नवीन खाता संख्या 73 नवीन आ0नं0 [illegible] रकबा 0.31है0 के स्थान पर रकबा कम दर्ज कर दिया गया। उसका पुन सही [illegible] वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विक्रय पत्र एवं पुरानी जमाबन्दी के आधार पर सही [illegible] कराये जाने का आदेश तहसीलदार निम्बाहेडा एवं पटवार हल्का बडावली को करने जाने की कृपा करावे।ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

कार्यालय उपखण्ड ... निम्बाहेड़ा (राज.)

03

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के हवाले से प्रार्थी घीसुलाल पिता रामलाल धाकड निवासी कोचवा द्वारा किये गये प्रार्थना पत्र आर.टी.ए की मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई । मौके पर पाया गया कि खातेदार की वर्तमान आराजी नम्बर 916 रकबा 0.31 हैं दर्ज रिकार्ड हैं जबकि नकशे में 0.53 हेक्टर की तरकीम अंकित हैं एव आराजी नम्बर 916 का रिकार्ड में 0.31 है0 ही दर्ज है संलग्न दस्तावेज अनुसार वक्त भुप्रबन्ध में साबिक आराजी न0 705/1 रकबा 2बीघा 9 बीसवा दर्ज थी जो कही की इसका भुप्रबंध में 0.22 है0 कम दर्ज कर दिया गया है । वर्तमान आराजी न0 916 एवं 917 नक्शे में खातेदार के रकबे अनुसार सही है केवल जमाबंदी रिकार्ड मे भूमि का रकबा गलत दर्ज हो गया हैं । वर्तमान आराजी न0 916 एंव 917 नक्शे मे खातेदार के रकबे अनुसार सही है केवल जमाबंदी रिकार्ड मे भूमि का रकबा गलत दर्ज हो गया हैं भुप्रबंध के पहले 705/1 रकबा 1 बीघा 9 बीसवा एवं 705 रकबा 5111/3 दर्ज रिकार्ड हो गयी थी इसमें जमाबंदी का रकबा 1 बीघा ज्यादा हो गया था । वक्त भुप्रबंध 705 रकबा 5111/3 में से 1 बीघा की कमी करनी था किन्तु सहवन से आराजी नम्बर 705/1 में से 1 बीघा कम हो गया । इस कारण खातेदार श्री घीसुलाल पिता हरालाल धाकड के वर्तमान में रकबा 0.22 हे की कमी हो गई । नक्शे में दोनो खातेदार के बराबर बराबर रकबे का नक्शा बना हुआ है । केवल जमाबंदी रिकार्ड में ही रकबा कम ज्यादा हो रहा हैं अतः रिकार्ड श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही आदेशार्थ पेश हैं ।

हमने वहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने प्रकरण में विक्रेता को पक्षकार नही बनाया है जबकि वह भी प्रभावित पक्ष है बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होगा । इसी प्रकार तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने रिकार्ड की त्रुटि होना प्रकट किया है परन्तु कोई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता है ।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

02

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 2 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

03